राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 77/2018

रवीन्द्र कुमार पुरोहित **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.01.2018
आदेश की दिनांक : 10.09.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, ओआईसी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.05.2015 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 05.02.1996 को हुई थी और

आगामी पदोन्नति स्कूल व्याख्याता के पद के लिये रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2015 के द्वारा अपीलार्थी के नाम पर विचार किया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 10.08.2015 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत उससे कनिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति के संबंध में सूचना मांगी। अपीलार्थी की सेवायें संतोषजनक होने के बावजूद रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विचार नहीं किया गया और जबकि उससे कनिष्ठ कार्मिक को उक्त रिक्ति वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा न्याय की मांग का नोटिस दिनांक 22.08.2017 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित करते हुये अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 30.05.2015 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को व्याख्याता (अर्थशास्त्र) के पद पर रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध जिस तिथी से उससे कनिष्ठ कार्मिक को पदोन्नति प्रदान की गई है उसी तिथी से अपीलार्थी को भी पदोन्नति प्रदान करते हुये समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से ओआईसी ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में वर्ष 2003 तक व्याख्याता पद की डीपीसी हेतु वर्षवार निर्धारित रिक्तियां 50 प्रतिशत योग्यता के आधार पर एवं 50 प्रतिशत रिक्तियां वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर भरे जाने संबंधी प्रावधान रहा है। अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का चयन वर्ष 2001–02 हेतु योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति किया गया है और इस प्रकार कोटे की रिक्ति के प्रति चयनित अभ्यर्थी से अपीलार्थी की तुलना नहीं की जा सकती। अपीलार्थी चयन वर्ष 2001–02 हेतु योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति पात्र नहीं बनने के कारण नियमानुसार विचार किया जाना संभव नहीं था। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड द्वितीय के पद पर दिनांक 05.02.1996 को हुई थी और रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध आदेश दिनांक 30.05.2015 के द्वारा अपीलार्थी को व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार किया गया। जहां तक अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध और अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक का चयन वर्ष 2001–02 हेतु योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति किया गया है और इस प्रकार कोटे की रिक्ति के प्रति चयनित अभ्यर्थी से अपीलार्थी की तुलना नहीं की जा सकती। चूंकि उक्त कनिष्ठ कार्मिक को किसी विशेष वर्ग के कोटे के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई है। केवल मात्र योग्यता कोटे की निर्धारित रिक्तियों के प्रति पदोन्नत किया गया है। जबकि उक्त कार्मिक अपीलार्थी से कनिष्ठ है और अपीलार्थी के बाद उसकी नियुक्ति हुई है। अतः ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुये यदि अपीलार्थी रिक्ति वर्ष 2001–02 के विरूद्ध व्याख्याता के पद पर पदोन्नति योग्य पाया जाता है तो उक्त पद पर उसके नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य